



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 568]  
No. 568]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 2, 1988/कार्तिक 11, 1910  
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 2, 1988/KARTIKA 11, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

मंत्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1988

का.आ. 1009(अ) :—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद, 77 के खण्ड (3) द्वारा  
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य आर्बंटन) नियम, 1961 का और  
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य आवंटन) (एक सौ निम्नानुबंधों संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 का द्वितीय अनुसूचा में—

(क) "खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्षक के नीचे, "क खाद्य विभाग" उद्देशीयक के नीचे, प्रविष्टि II की उपप्रविष्टियां (iii) और (iv) का वीण किया जाएगा,

(ख) "खाद्य प्रशंस्करण उद्योग मंत्रालय" शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 7 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"8 माडर्न फूड इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड।

9. नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड।"

आर. बेकटरामन  
राष्ट्रपति

[फा. सं. 74/2/1/88-नॉन.]

शीर्षक दामगुप्ता, संबन्धित मन्त्रिण

### CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 31st October, 1988.

### NOTIFICATION

S.O. 1039(E):—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and ninety ninth Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,—

(a) under the heading "MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (KHADYA AUR NAGRIK POORTI MANTRALAYA)", under

sub-heading "A. DEPARTMENT OF FOOD (KHADYA VIBHAG)".  
sub-entries (iii) and (iv) of entry II shall be omitted;

(b) under the heading "MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (KHADYA PRASANSAKARAN UDYOG MANTRALAYA)" after entry 7, the following entries shall be inserted, namely:—

8. Modern Food Industries (India) Ltd.
9. North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Ltd.

R. VENKATARAMAN  
PRESIDENT

[F. No. 74/2/1/88—Cab]

DEEPAK DAS GUPTA, Jt. Secy. to the Cabinet.

